



-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन क्लीन”

के तहत कुल 15 मुकदमों से सम्बन्धित माल के विनिष्ठीकरण की कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन क्लीन” के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री मुकुल सागर नायब तहसीलदार बेहट, सहारनपुर व श्री मनोज यादव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर की अध्यक्षता में श्री राजीव कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर, वरिष्ठ उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा, हे0मोहर्रिर 980 नीटू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर एवं श्री विजयपाल सिंह ग्राम प्रधान ग्राम माण्डूवाला की उपस्थिति में आज दिनांक 12.05.2025 को कुल 15 मुकदमों से सम्बन्धित माल मुकदमाती माल को नियमानुसार तोड़कर विनिष्ठीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसकी फोटो एवं वीडियोग्राफी करायी गयी।

विनिष्ठीकरण किये गये माल का विवरण: -

- 01 पुलिन्दे में रेपर पाउडर, बाट तराजू, डांडी वाली प्रेस गली हालत में
- 01 पुलिन्दे में चाय का नमूना खुला हुआ
- 01 पुलिन्दे में 12 बोर का तमंचा, 01 कारतूस 12 बोर व एक नाल का उपकरण
- 01 पुलिन्दे में एक अदद छुरी
- 01 पुलिन्दे में एक अदद छुरी
- 01 पुलिन्दे में एक अदद छुरी
- 01 रस्सी, छुरी व लकड़ी का गुटखा आदि
- 01 नीले बैग में नकली सिगरेट
- 01 कुल्हाड़ी, एक रस्सा व एक छुरी
- 01 लिफाफा सील सर्वेमोहर हस्ताक्षर तस्दीक करने के सम्बन्ध में
- 01 टूटी हुई बन्दूक व 02 तमंचे जंग लगे हुये
- 07 प्लास्टिक के कट्टे में नकली प्लास्टिक की कैसिट करीब 21,500
- रोडवेज के गले सड़े टिकट एक पुलिन्दे में 27,300 रुपये की छायाप्रति
- नमूना रेपर

विनिष्ठीकरण हेतु गठित टीम के सदस्यों के नाम-

1. श्री मनोज यादव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर
2. श्री मुकुल सागर नायब तहसीलदार बेहट सहारनपुर

3. श्री राजीव कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. एच0एम0 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. श्री विजयपाल सिंह ग्राम प्रधान ग्राम माण्डूवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 12.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना फतेहपुर के
हिस्ट्रीशीटर अपराधी के विरुद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही
की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वाद सं० 1069/23 व मु०अ०सं० 06/17 धारा 307 भादवि में थाना फतेहपुर के हिस्ट्रीशीटर अपराधी (21ए) रहीस पुत्र अब्दुल समद निवासी ग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के विरुद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी में नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की गयी। जिसमें निम्नलिखित सामान को मौके पर रूबरू गवाहान कुर्क किया गया।

कुर्क किये गये सामान का विवरण:-

पुराना इस्तेमाली लकड़ी का तख्त – 01, पुरानी लकड़ी की चारपाई – 02, लोहे की चारपाई – 01, पुराना इस्तेमाली 5 सीटर सोफा सेट – 1, लिहाफ – 03, इस्तेमाली वाशिंग मशीन – 01, पुराना फ्रीज – 01, सिलाई मशीन – 01, गैस चूल्हा मय सिलेन्डर- 1, स्टील का टब – 01, डबल बैड के गद्दे – 03, तूफानी पंखा – 01, छोटा कूलर- 01, पुराने इस्तेमाली बर्तन (सिल्वर पत्तीली -03, स्टील जग -03, सिल्वर के कुकर – 03, सिल्वर की कढ़ाई 01, स्टील की परात -02, वर्तन का टोकरा 01, स्टील के छोटे बड़े गिलास 10, स्टील की छोटी बड़ी कटोरी 06, स्टील की प्लेट 14, चमचा 01, चम्मच 5, स्टील का टब 01, छोटे बड़े सिल्वर के भगोने 04, फ्राईपैन 01, टिपिन 01, मिक्सी 01, प्लास्टिक जग 02, प्लास्टिक की कटोरी 08, हाट केश 01, प्लास्टिक ट्रे 02, प्लास्टिक की प्लेट 5, प्लास्टिक की चम्मच 04, स्टील की बाल्टी 01, दीवार घड़ी 01, मथानी 01, दरी 02, चादर – 09, सोफा कवर

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रहीश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1- मु०अ०सं० 17/16 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 2- मु०अ०सं० 30/16 धारा 457/380/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 3- मु०अ०सं० 39/16 धारा 307 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 4- मु०अ०सं० 59/16 धारा 147/148/149/307/332/353/224/225 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 5- मु०अ०सं० 61/16 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 6- मु०अ०सं० 132/09 धारा 11 घ पशु क्रूरता अधि० थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 7- मु०अ०सं० 235/16 धारा 307/353/325 भादवि व 2/3 पीडीपी एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
- 8- मु०अ०सं० 01/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 9- मु०अ०सं० 13/20 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना फतेहपुर सहारनपुर

कुर्की करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. हैड का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हैड का0 796 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. म0है0का0 1054 दिव्या थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक 13.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा स्कूटी चोरी की घटना का मात्र 24 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को चोरी की स्कूटी जुपीटर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.05.2025 को वादी फरहान पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला मालियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 12.05.2025 को एक अज्ञात चोर द्वारा वादी की स्कूटर जुपीटी चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 73/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश दिए गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2025 मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में स्कूटी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 24 घण्टे में **01 वाहन चोर अभियुक्त आसिफ पुत्र आबिद निवासी बीनू विहार कालोनी, चकरेहटी, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को पराग डेयरी ग्राउंड जनता रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी स्कूटर जुपीटर बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर आसिफ उपरोक्त ने अपना जुर्म की मांगते हुए बताया कि यह स्कूटर जो मुझसे बरामद हुई हैं मैंने पराग डेयरी ग्राउंड जनता रोड से चोरी की थी, जिसे लेकर आज मैं बेचने के लिये जा रहा था और पुलिस ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आसिफ पुत्र आबिद निवासी बीनू विहार कालोनी, चकरेहटी, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

➤ चोरी की स्कूटी जुपीटर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री विवेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
4. का0 1342 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
5. का0 1354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारन्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा वाद संख्या 1116/25 म0अ0सं0 120/2023 अन्तर्गत धारा 147/148/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी 1. आशीष पुत्र अनिल निवासी ग्राम माजरी खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर तथा वारन्टी 2. मालू उर्फ आर्या उर्फ जैकी पुत्र बलेन्द्र निवासी गण ग्राम माजरी खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को ग्राम माजरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारन्टियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. आशीष पुत्र अनिल निवासी ग्राम माजरी खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. मालू उर्फ आर्या उर्फ जैकी पुत्र बलेन्द्र निवासी ग्राम माजरी खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2548 विष्णु थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2176 श्यामपाल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत लावारिश 57 वाहनों की नीलामी करायी गयी, जिससे कुल 4,00,000/- रुपये की धनराशि (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा नायब तहसीलदार बेहट श्री मुकुल सागर की अध्यक्षता में एवं श्रीमान ASP/क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज यादव, सम्भागीय निरीक्षक श्री रोहित कुमार सिंह व थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार, हैडमौड 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना फतेहपुर पर खड़े कुल 57 लावारिश वाहन जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 1,37,700/- रुपये निर्धारित की गई थी, के अनुसार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 55 बोली दाताओं द्वारा उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर बोली लगायी गई। बोली दाता श्री नौशाद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम नानौता थाना नानौता जनपद सहारनपुर टोकन नं० 46 द्वारा उच्चतम बोली 4,00,000/- रुपये लगाई गई। जो निर्धारित मूल्य से 2,62,300 रु० अधिक है। उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी०एस०टी० के साथ कुल धनराशि 04,00,000/- रु० राजकोष में जमा की जायेगी। नीलामी करा कर कुल 57 लावारिश वाहनो का निस्तारण कराया गया।

नीलामी हुए वाहनों का विवरण:-

- 56 वाहन दो पहिया
- 01 वाहन चार पहिया

नीलामी कराने वाली टीम का विवरण:-

1. श्रीमान ASP / क्षेत्राधिकारी सदर , सहारनपुर ।
2. श्रीमान नायब तहसीलदार बेहट, सहारनपुर ।
3. श्रीमान सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर ।
4. श्रीमान थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर स०पुर ।
5. श्रीमान व०उ०नि० भूपेन्द्र कुमार शर्मा थाना फतेहपुर स०पुर।
6. हैड मोहरीर 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर ।



दिनांक: 13.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म के मामले अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी **सजा -**

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.08.2017 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.गुलफाम पुत्र जुल्फान नि० खडन्जा अहमदपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2.अहतेशाम पुत्र इकराम नि० उपरोक्त व 3.शाहआलम पुत्र इकराम नि० उपरोक्त द्वारा वादीया की बहन को नशीला पदार्थ देकर व बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने की सूचना के आधार पर मु०अ०स०-755/2017 धारा 328,366,376,504,323 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं०-523/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 13.05.2025 को अभियुक्त गुलफाम पुत्र जुल्फान उपरोक्त को मु०अ०स०-755/2017 धारा 376,366 भादवि में दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:- अभियुक्तगणों 1. अहतेशाम पुत्र इकराम निवासी खडन्जा अहमदपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 2.शाहआलम पुत्र इकराम निवासी खडन्जा अहमदपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को मु०अ०स०-755/2017 में धारा 328,323,504 भादवि में दोषमुक्त किया जाता है।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री सतीश सैनी

विवेचक- उप निरीक्षक श्री साजिद अली

पैरोकार का० उत्तम सरदार जी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा देश विरोधी पोस्ट "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का स्टेटस मोबाईल फोन के व्हाट्सएप पर लगाकर जनता में वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2025 को उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर की जुबानी तहरीर बाबत अभियुक्त वसीम पुत्र इनाम निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा देश विरोधी पोस्ट "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का स्टेटस अपने मोबाईल फोन के व्हाट्सएप पर लगाकर जनता में वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 0149/2025 धारा 352(2)/196 बीएनएस व 13(ए) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर देश विरोधी पोस्ट "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का स्टेटस अपने मोबाईल फोन के व्हाट्सएप पर लगाकर जनता में वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने वाले अभियुक्त वसीम पुत्र इनाम निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को ग्राम सहजवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से देश विरोधी क्रियाकलाप में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीम पुत्र इनाम निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. है0कां0 1003 सुशान्त थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर